

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 06/2011

दायर दिनांक 10.01.2011

वादी	प्रतिवादीगण
1. नारायणराम पुत्र जेठाराम, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. भागुराम पुत्र हनुमानाराम, 2. पेमराम पुत्र हनुमानाराम, 3. प्रभुराम पुत्र हनुमानाराम, 4. बोदूराम पुत्र हनुमानाराम, 5. रामेश्वर पुत्र हनुमानाराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 6. एस.वी.आई.बैंक, शाखा-मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 7. सोनीदेवी पत्नी जेठाराम, 8. मूलीदेवी पुत्री जेठाराम, 9. सुवादेवी पुत्री जेठाराम, 10. रूकमादेवी पुत्री जेठाराम, 11. बालुराम पुत्र जेठाराम, 12. अण्डीदेवी पत्नी तुलछाराम, 13. सन्तोष पुत्री तुलछाराम, 14. भुवानाराम पुत्र जेताराम, 15. नन्दाराम पुत्र भूराराम, 16. नाथुराम पुत्र भूराराम, 17. किशनाराम पुत्र भूराराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 18. जयपुर नागौर ग्रामीण ऑंचलिक बैंक, शाखा-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

2-2
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 06/2011
दायर दिनांक 10.01.2011, निर्णय दिनांक 18.06.2018
नारायणराम वनाम् भागुराम, वगैरा।

दावा
बाबत बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित।

--: निर्णय ::-

दिनांक 18.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 व 07 ता 17 की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 33.02 बीघा, खसरा नम्बर 176 रकबा 27.07 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 41.00 बीघा, खसरा नम्बर 182/316 रकबा 34.01 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 34.02 बीघा, खसरा नम्बर 172/315 रकबा 31.00 बीघा, कुल रकबा 200.12 बीघा भूमि शरहद भदलिया में अवस्थित है। नकल खतौनी सम्वत् 2065-2068 वाद के साथ पेश है। प्रार्थना वादी है कि,

शरहद भदलिया में खसरा नम्बर 174 रकबा 33.02 बीघा, खसरा नम्बर 176 रकबा 27.07 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 13 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 व 14 ता 17 का नाम हटाया जावे।

शरहद भदलिया में खसरा नम्बर 182 रकबा 41.00 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 34.02 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के नाम से खातेदारी में दर्ज की जावे व वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 17 का नाम हटाया जावे।

शरहद भदलिया में खसरा नम्बर 182/316 रकबा 34.01 बीघा, खसरा नम्बर 172/315 रकबा 31.00 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 के नाम से घोषित की जावे तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 व 07 ता 13 का नाम हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 06, 18 व 19 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में इस वाद में हाजिर नहीं रहने से उनके

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ-पत्र, जमाबन्दी ग्राम भदलिया सम्बत् 2065-68 खेवट संख्या 87/51 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-भदलिया में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकार को सुना गया। उप तहसीलदार मौलासर ने पक्षकारान् की ओर से सहमति पर बन्तवारा स्कीम तैयार कर पेश किया। बन्तवारा स्कीम में वर्णित अनुसार भूमि खातेदारी पक्षकारान् चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी मुताबिक, राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी डिक्री जाना उचित है।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकनोपरान्त तथा वादी इस्तदुआ पर विचार किया जाकर, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

-: आदेश :-

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा भदलिया में वादवर्णित खसरान् की भूमियों का बन्तवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, बन्तवारा स्कीम पेश द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018 में दर्शितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है:-

1. खसरा नम्बर 182 रकबा 41.00 बीघा में से रकबा 35.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को तथा रकबा 06.00 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
2. खसरा नम्बर 176 रकबा 27.07 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।

सहायक कलेक्टर
बीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 06/2011
दायर दिनांक 10.01.2011, निर्णय दिनांक 18.06.2018
नारायणराम बनाम भागुराम, दगैरा।

3. खसरा नम्बर 174 रकबा 33.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
4. खसरा नम्बर 172 रकबा 34.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
5. खसरा नम्बर 172/315 रकबा 31.00 बीघा में से रकबा 15.10 बीघा भूमि का नन्दाराम, नाथूराम पुत्र भूराराम व गुलाबदेवी पत्नी मोहनराम व सन्तोष, मीरा, पूजा पुत्रियाँ मोहनराम समस्त, कौम-जाट निवासी-ढहर का वास तहसील-डीडवाना जिला-नागौर को व रकबा 15.10 बीघा भूमि का किसनाराम पुत्र भूराराम जाति-जाट निवासी-ढहर का वास तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
6. खसरा नम्बर 182/316 रकबा 34.01 बीघा सम्पूर्ण का बन्शीराम, रामूराम, सुखाराम, रूपाराम, रामेश्वरलाल व मैरूराम पिसरान् भुवानाराम समस्त, जाति-जाट, निवासी-ढहर का वास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।
बन्टवारा प्रस्ताव द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक सल्लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-भदलिया

निर्णय, आज दिनांक 18.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में
सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक सल्लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-भदलिया

डिक्री वमुकददमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
-:: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::-
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 06/2011

दायर दिनांक 10.01.2011

वादी	प्रतिवादीगण
1. नारायणराम पुत्र जेठाराम, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. भागुराम पुत्र हनुमानाराम, 2. पेमराम पुत्र हनुमानाराम, 3. प्रभुराम पुत्र हनुमानाराम, 4. बोदूराम पुत्र हनुमानाराम, 5. रामेश्वर पुत्र हनुमानाराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 6. एस.बी.आई. बैंक, शाखा-मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 7. सोनीदेवी पत्नी जेठाराम, 8. मूलीदेवी पुत्री जेठाराम, 9. सुवादेवी पुत्री जेठाराम, 10. रूकमादेवी पुत्री जेठाराम, 11. बालुराम पुत्र जेठाराम, 12. अणचीदेवी पत्नी तुलछाराम, 13. सन्तोष पुत्री तुलछाराम, 14. भुवानाराम पुत्र जेताराम, 15. नन्दाराम पुत्र भूराराम, 16. नाथुराम पुत्र भूराराम, 17. किशनाराम पुत्र भूराराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 18. जयपुर नागौर ग्रामीण ऑंचलिक बैंक, शाखा-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 18.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा भदलिया में वादवर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, बन्टवारा स्कीम पेश द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018 में दर्शितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है:-

1. खसरा नम्बर 182 रकबा 41.00 बीघा में से रकबा 35.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को तथा रकबा 06.00 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
2. खसरा नम्बर 176 रकबा 27.07 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
3. खसरा नम्बर 174 रकबा 33.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
4. खसरा नम्बर 172 रकबा 34.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
5. खसरा नम्बर 172/315 रकबा 31.00 बीघा में से रकबा 15.10 बीघा भूमि का नन्दाराम, नाथूराम पुत्र भूराराम व गुलाबदेवी पत्नी मोहनराम व सन्तोष, मीरा, पूजा पुत्रियाँ मोहनराम समस्त, कौम-जाट निवासी-ढहर का बास तहसील-डीडवाना जिला-नागौर को व रकबा 15.10 बीघा भूमि का किसनाराम पुत्र भूराराम जाति-जाट निवासी-ढहर का बास तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।
6. खसरा नम्बर 182/316 रकबा 34.01 बीघा सम्पूर्ण का बन्शीराम, रामूराम, सुखाराम, रूपाराम, रामेश्वरलाल व भैरूराम पिसरान् भुवानाराम समस्त, जाति-जाट, निवासी-ढहर का बास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर जारी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। बन्टवारा प्रस्ताव द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-.....
 आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
 आज की तारीख 18.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 कोट कैम्प-मदलिया

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 कोट कैम्प-मदलिया

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

न्याय आर्क द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:- 06-2011 / सीडर / 2018 /

दिनांक 18.06.2018

प्रेषित:-

तहसीलदार
डीडवाना।


विषय: - निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा

बाबत बन्दवारा व रथाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. नारायणराम पुत्र जेठाराम, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. भागुराम पुत्र हनुमानाराम, जाति-जाट, निवासी-भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-भदलिया